अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

## अखिल भारतीय वक्फ सम्मेल्न आरंभ मंत्रालय, नवाडको और सीडब्ल्यूसी सामूहिक रूप से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों के कल्याण के लिए औकाफ का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं: श्री मुख्तार अबुबास नकवी

Posted On: 07 JAN 2017 7:34PM by PIB Delhi

केंदरीय अलपसंखयक मामले राजय मंतरी (सवतंतर परभार) एवं संसदीय मामले राजय मंतरी शरी मुखतार अबबास नकवी ने कहा है कि केंदर, राषटरीय वकफ विकास निगम (नवाडको) एवं केंद्रीय वकफ परिषद ने एक साथ मिलकर अलपसंखयक समदायों, विशेष रूप से मसलमानों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक अधिकारिता के लिए वक्फ संपत्तियों का उपयोग करने के लिए एक अभियान आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय मुसलिम समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य नीतियों पर कार्य कर रहा है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और विकास शामिल हैं। श्री नकवी ने आज नई दिलली में अखिल भारतीय वक्फ सममेलन का उदघाटन करने के दौरान ये उदगार वयकत किए। उनहोंने कहा कि कई राजय मुसलमानों की पुराति के लिए वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए आगे आए हैं। ज्यादातर राज्य अच्छा पुरदर्शन कर रहे हैं,लेकिन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय ने कहा कि सभी राज्यों को तीन सदस्यीय दिरब्यूनल का गठन करना चाहिए। श्री नकवी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि देशभर में सभी वक्फ बोडों और उनके रिकाडों का कप्यूटरीकरण किया जाए और अल्पसंख्यक मामले मंतरालय राजय वकफ बोर्डों को सभी संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। वक्फ बोर्डों और उनकी संपत्तियों का कंपयूटरीकरण वक्फ बोर्डों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित

करने में मदद करेगा।

उनहोंने सभी प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों के लिए सराहना की कि उनके प्रभार के तहत सभी औकाफों का समुचित ढंग से रखरखाव हो, उन पर बेहतर नियंतरण हो, उनहोंने आगरह किया कि ऐसी संपत्तियों से परापत आय का उपयोग उन उद्देशयों की पराप्ति के लिए किया जाए जिनके लिए ऐसे औकाफों का सुजन किया गया था। उनहोंने वक्फ अधिनियम, पटटा नियमों, महत्तवपूर्ण योजनाओं आदि के कार्यान्वयन में उनको पूर्ण सहयोग देने का आगरह किया जिससे न केवल सभी रिकार्डों के कमयुटरीकरण में मदद मिलेगी बल्कि इससे वकफ बोर्डों/ मृतुतविलयों की आमदनी में भी इजाफा होगा। बैठकों के दौरान अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद, नवाडको, हरियाणा, कर्नाटक एवं केरल राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा वक्फ मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण किए गए और कार्यसूची के सभी विषयों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में सचिव श्री अमैसिंग लुईखम ने कहा कि संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने 3.6.14 को वक्फ संपत्ति पट्टा नियमों को अधिसूचित किया। इन नियमों में कुछ विशिष्ट मामलों में पट्टा दिए जाने पर प्रतिबंध, पट्टा/ पंजीकरण/पट्टा संपत्तियों के नवीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रिक्रयाएं, पट्टादाताओं और पट्टेदारों के अधिकारीं एवं दायित्वों आदि के प्रावधान हैं। अधिसूचित नियमों के कार्यन्वयन में कुंछ राज्य वक्फ बोर्डों के सामने आने वाली कठिनाइयों के आधार पर 25.8.15 की उनमें कुछ संशोधन किए गए । अधिनियम के महतवपूर्ण परावधानों में एक का संबंध राजय/केंदर शासित प्रदेशों द्वारा वक्फ नियमों के निर्माण से है । इस बारे में राजय/केंदर शासित सरकारों की सहायता करने के लिए अलपसंखयक मामले मंतरालय ने आवशयक मॉडल नियम तैयार किए और उस पर विचार करने के लिए 18.7.16 को सभी राजयों/ केंद्र शासित परदेशों को उसकी परितयां उपलब्ध कराई। तथापि अधिकांश राजयों ने अभी तक संशोधित नियमों को अधिसुचित नहीं किया है। उन्होंने उमुमीद जताई की आज के विचार-विमर्शों से रचनातुमक और सकारातुमक परिणाम निकलेंगे।

इससे पूर्व, जन समृह का सुवागत करते हुए मंतुरालय में संयुक्त सचिव शुरी जान-ए-आलम ने बैठक की कार्यसूची रेखांकित की।

नवाडकों के सीईओं शरी अशोक पाई ने कहा कि विशाल वक्फ संपत्तियों से केवल 163 करोड़ रुपयों की आमदेनी से प्रदर्शित होता है कि वकफ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संशोधित अधिनियम के तहत पटटा नियमों के कारगर कार्यान्वयन पर जोर देते हुए उनुहोंने वक्फ संपत्तियों के विकास में सभी संभावित सहायता करने का वायदा किया। उनुहोंने कहा कि अभी तक देशभर में 100 संपत्तियों की पहचान की गई है और 35 संपत्तियों के विकास के लिए आशय प्राप्त हुए हैं।

सीडब्ल्यूसी के सचिव श्री जमाल अहमद ने उद्घाटन सत्र के समापन पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

वीके/एसकेजे/एनआर-58

(Release ID: 1480150) Visitor Counter: 8





